रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 448] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 31, 1975/कार्तिक 9, 1897
No. 448] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 31, 1975/KARTIKA 9, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 31st October 1975

S.O. 633(E)/18FB/IDRA/75.—Whereas by the order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 200(E)/18FB/IDRA/73, dated the 5th April, 1973 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that the operation of all or any of the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, or other instruments in force immediately before the publication of the said Order in the Official Gazette to which the Industrial undertaking known as the Refractory Plant near Ramgarh in Hazaribagh District in the State of Bihar belonging to Messrs Assam Sillimanite Limited is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking, shall remain suspended upto the 30th June, 1973 and all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended upto the 30th June, 1973;

And whereas the Central Government in the late Ministry of Industrial Development by orders Nos S.O 362(E)/IDRA/73, dated the 30th June, 1973, No. S.O 452(E)/18FB/IDRA/73, dated the 30th August, 1973, No. S.O. 796(E)/18FB/IDRA/73, dated the 28th December, 1973, No. S.O. 402(E)/18FB/IDRA/74, dated the 29th June, 1974, No S.O. 710(E)/18FB/IDRA/74, dated the 17th December, 1974, and No. S.O 288(E)/18FB/IDRA/75, dated the 30th June, 1975, extended the duration of the said Order upto the 31st August, 1973, 31st December, 1973, 30th June, 1974, 31st December, 1974, 30th June, 1975 and 31st October, 1975, respectively.

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended further upto the 31st October, 1976;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto the 31st October, 1976.

[No. F.25/8/72-CUC]
R. V. RAMAN, Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 1975

का० आ० 633 अ /18 चख/आई०डी०आर०ए०/75.—भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 200 (ई)/18 चख/आई० डी० आर०ए०/73, तारीख 5 अप्रैल, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा, केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा की थी कि उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों और अन्य लिखतों का या उनमें से किसी का, जिनका जिसका कि मेसर्स आसाम सिलीमेनाइट लिमिटेड का बिहार राज्य के हजारी बाग जिले में रामगढ़ के निकट रिफेक्टरी प्लांट नामक औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू हों या नहीं हो, प्रवर्तन 30 जून, 1973 तक निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व तदधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व 30 जून, 1973 तक निलम्बित रहेंगे ;

और केन्द्रीय सरकार ने भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेशों सं० का० आ० 362(ई) /आई० डी० आर० ए०/73 तारीख 30 जून, 1973, सं० का० आ० 452(ई)/18 च ख/आई०डी० आर० ए०/73, तारीख, 30 अगस्त, 1973, सं० का० आ० 796(ई)/18 च ख/आई०डी०आर०ए०/73, 18 दिसम्बर, 1973, सं० का०आ० 402(ई)/18 चख/आई०डी०आर०ए०/74, तारीख 19 जून, 1974, सं० का० आ० 710(ई)/18 च ख/आई०डी०आर०ए०/74, तारीख 12 दिसम्बर, 1974, और सं० का०आ० 288(ई)/18 च ख/आई०डी० आर०ए०/75, तारीख 30 जून, 1975 द्वारा उक्त आदेश की अवधि क्रमश : 31 अगस्त, 1973, 31 दिसम्बर, 1973, 30 जून, 1974, 31 दिसम्बर, 1974, 30 जून, 1975 और 31 अक्तूबर, 1975 तक बढ़ा दी थी ;

और, केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 31 अक्तूबर, 1976 तक और बढ़ा दी जानी चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 31 अक्तूबर, 1976 तक बढ़ाती है ।

[सं० फा० 25/8/72/सी० यू० सी०]
आर० वी० रामन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975